(06)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड़, रायपुर
(मुख्य वन संरक्षक – राष्ट्रीय कृषिवानिकी एवं बांस मिशन)
फोन: 0771–2886422 ई मेल: mdircgbda@rediffmail.com

क्रमांक/बां.मि/बां.प्र.के. समीक्षा–83/2017/२१९ रायपुर, दिनांक २१ .04.2017

प्रति,

समस्त, मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषयः– बांस प्रसंस्करण केन्द्रों के सक्रिय रूप से संचालन के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत राष्ट्रीय कृषिवानिकी एवं बांस मिशन योजनांतर्गत आपके वृत्त के तहत स्थापित बांस प्रसंस्करण केन्द्रों को मांग संख्या 41–2406 (7322) बांस प्रसंस्करण इकाई अंतर्गत सतत रूप से बांस शिल्प निर्माण, विक्रय, तथा केन्द्र के सक्रिय रूप से संचालन हेतु चक्रिय निधि के रूप में राशि आबंटन किया जाता है। कृपया उक्त मद अंतर्गत आबंटित राशि से केन्द्र को क्रियाशील करने हेतु शीघ्र निम्न कार्यवाही करने हेतु संबंधित वनमण्डलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निर्देश जारी करते हुए बांस प्रसंस्करण इकाईयों की मॉनिटरिंग करने का कष्ट करेः–

1. केन्द्र में कार्यरत् शिल्पकारों का स्व–सहायता समूह गठित कर, समूह का खाता खोला जावे तथा चक्रीय निधि की राशि समूह/समिति के खातों में जमा करावें। खातें का संचालन समूह के अध्यक्ष एवं सचिव जो कि सबंधित परिक्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी होंगे, के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जावेगा।
2. उपलब्ध राशि से समूह/समिति को बांस एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर केन्द्र को क्रियाशील करावें।
3. इस चक्रीय निधि की राशि के उपयोग हेतु समूह से शिल्प निर्माण का प्रोजेक्ट/प्रस्ताव प्राप्त करें। प्रोजेक्ट में लगने वाली सामग्री, सामग्री की मात्रा, मूल्य, प्रत्येक आइटम का साइज, मजदूरी इत्यादि सहित निर्माण की कुल लागत की जानकारी सहित प्राप्त करें।
4. इस प्रोजेक्ट को वनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी की अनुशंसा के उपरांत स्वीकृत करेंगे। इसी स्वीकृति के आधार पर समूह द्वारा राशि का व्यय किया जा सकेंगा। शिल्प निर्माण उपरांत आयटम का विक्रय स्थानीय बाजार अथवा रायपुर स्थित बैम्बू एम्पोरियम को किया जा सकेंगा।

   विक्रय हेतु बैम्बू एम्पोरियम को दिये जाने वाली बांस सामग्री का मूल्य समूह की वास्तवित लागत मूल्य पर 15 प्रतिशत् जोड़कर दिया जावेंगा, क्योंकि बैम्बू एम्पोरियम द्वारा 15 प्रतिशत्

की राशि एम्पोरियम के रख–रखाव हेतु वनमण्डलाधिकारी रायपुर की चक्रीय निधि में जमा की जावेगी।

5. स्व–सहायता समूहों में न्यूनतम 10 सदस्य एवं अधिक्तम 30 सदस्य होनी चाहिए।
6. समूहों के सदस्यों को आवश्यकता अनुसार नवीनतम डिजाईन, फर्नीचर, सजावटी सामग्री, श्रृंगारिक सामग्री, इत्यादि प्रशिक्षण कराकर समूह के लिए आवश्यक मशीनरी एवं टूल किट उपलब्ध करावें।
7. चक्रीय निधि से अनावश्यक मशीनरी का क्रय नही किया जावें।
8. केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव बनाकर जिलाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, से भी राशि प्राप्त करने हेतु प्रयास करें।
9. समूहों को प्राप्त राशि, व्यय की गयी राशि का लेखा–जोखा केश बुक संधारित कर रखें, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। समय–समय पर केश बुक का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जावेगा।
10. दोनो केन्द्र की प्रगति की जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की **5 तारीख** तक उपलब्ध करावें।
11. विभागीय मद मांग संख्या 41–2406 (7322) बांस प्रसंस्करण इकाई में आबंटित राशि को बांस प्रसंस्करण केन्द्र अंतर्गत गठित समिति के खातें में हस्तांतरित कर केन्द्र को संचालित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर राशि का व्यय कराना सुनिश्चित करें। बांस निर्मित सामग्री के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय को समिति के खातें मे जमा कर पुनः शिल्प निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र के संचालन में उपयोग किया जावें।

आर. के टम्टा
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक/बां.मि/बां.प्र.के. समीक्षा–83/2017/800 **रायपुर, दिनांक 27.04.2017**

प्रतिलिपि :

– समस्त, वनमण्डलाधिकारी छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, रायपुर